बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

श्री राजीव रंजन, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, मधेपुरा सम्प्रति श्रम अधीक्षक, पटना (2 एवं 4) के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या– 255 दिनांक– 28.01.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री भुवनेश्वर मिश्रा, तत्कालीन अपर निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन विभाग को संचालन पदाधिकारी तथा श्रीमती रत्ना प्रसाद, श्रमायुक्त, बिहार के सचिव, श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी श्री भुवनेश्वर मिश्रा, तत्कालीन अपर निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन विभाग दिनांक 31.12.2016 को सामान्य सेवानिवृत हो चुके हैं। अतः श्री भुवनेश्वर मिश्रा के सेवा निवृत्त हो जाने एवं अंतिम जॉच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किए जाने के कारण श्री राजीव रंजन, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, मधेपुरा सम्प्रति श्रम अधीक्षक, पटना (2 एवं 4) के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या– 255 दिनांक– 28.01.2016 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही में आंशिक संशोधन करते हुए डॉ बीरेन्द्र कुमार, संयुक्त श्रमायुक्त (मुख्यालय), श्रम संसाधन विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। श्रीमती रत्ना प्रसाद, श्रमायुक्त के सचिव, श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना पूर्व की तरह इस विभागीय कार्यवाही की प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी बनी रहेंगी।

2. संकल्प संख्या– 255 दिनांक– 28.01.2016 इस अंश तक संशोधित समझा जाय।

3. **उक्त संकल्प के शेष अंश पूर्ववत रहेंगे।**

निबंधित

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री राजीव रंजन (आरोपित पदाधिकारी), तत्कालीन श्रम अधीक्षक, मधेपुरा सम्प्रति श्रम अधीक्षक, पटना (2 एवं 4) को **निबंधित डाक** से उपलब्ध करायी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(सौरभ जोरवाल)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0–28/2014 श्र0सं0– 487 पटना, दिनांक– 01/3/2017

प्रतिलिपि– 1. डॉ बीरेन्द्र कुमार, संयुक्त श्रमायुक्त (मुख्यालय), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को पूर्व संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मूल फोल्डर की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इस कार्यवाही को अधिक से अधिक तीन माह के अन्दर पूर्ण कर कार्यवाही अभिलेख एवं जॉच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करने का कष्ट करें। कार्यवाही अभिलेख में एक आदेश फलक जुड़ा रहना चाहिए ।

कृ0पृ0उ0

2. श्रीमती रत्ना प्रसाद, श्रमायुक्त के सचिव, श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. श्री राजीव रंजन, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, मधेपुरा सम्प्रति श्रम अधीक्षक, पटना (2 एवं 4) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (निबंधित डाक से) ।

4. श्रमायुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी उप सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी (सरकार पक्ष)/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को (संकल्प की 6 अतिरिक्त प्रति के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. लोक सूचना पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7. आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8. माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सौरभ जोरवाल)
सरकार के उप सचिव